

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
इन्द्रावती भवन, भूतल, ब्लॉक 4डी, नया रायपुर (छ0ग0)
☎ - 2263708 Fax - 2262558

website - tribal.cg.gov.in

E mail - ctd.cg@nic.in

क्रमांक/युवा. कै/2016-17/9522

नया रायपुर, दिनांक 26/12/2016

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा (प्रारंभिक) के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से दिल्ली स्थित कोचिंग संस्थाओं में आवासीय सुविधा के साथ प्रवेश की सूचना-वर्ष 2017-18 (अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए)

—000—

छ.ग. शासन आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा युवा कैरियर निर्माण योजना वर्ष 2015 प्रभावशील है। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी दिल्ली स्थित विभाग द्वारा सूचीबद्ध कोचिंग संस्थाओं में प्रवेश दिलाकर कोचिंग सुविधा प्रदान की जाती है। यह कोचिंग पूर्णतः आवासीय होता है।

योजनांतर्गत अभ्यर्थियों के लिए पात्रता एवं शर्तें :-

1. आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो।
2. आवेदन छ.ग. का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र धारक हो।
3. न्यूनतम आयु 20 वर्ष से 30 वर्ष के मध्य हो और वह परीक्षा में शामिल होने के लिए आयु सीमा के अंतर्गत हो।
4. आवेदक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त किया हो।

कुल सीट संख्या :- कुल निर्धारित सीट संख्या 50 सीट है, जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग हेतु 25 सीट, अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु 15 सीट, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 10 सीट निर्धारित है।

आय सीमा :- (I) अनु.जाति एवं जनजाति के लिए कोई आय सीमा नहीं है।

(II) अ.पि.वर्ग हेतु आय सीमा 5.00 लाख है।

आय हेतु नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र देना होगा।

देय कोचिंग शुल्क :-

- (I) जिन अभ्यर्थियों के परिवार की आय रु. 3.00 लाख से 5.00 लाख तक है, उनके कोचिंग शुल्क का 90% विभाग द्वारा वहन किया जाएगा और शेष 10% अभ्यर्थी द्वारा देय होगा।
- (II) जिन अभ्यर्थियों के परिवार की कुल आय रु. 5.00 लाख से अधिक है उनके कोचिंग शुल्क का 50% विभाग द्वारा शेष 50% अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा।

// क्रमशः //

//2//

आवासीय सुविधा :- योजनांतर्गत कोचिंग हेतु चयन होने पर यूथ हॉस्टल नई दिल्ली में आवास, भोजन, परिवहन व्यय निःशुल्क दिया जाता है। इसके अतिरिक्त रू. 4000/- वार्षिक पुस्तकों के लिए भी प्रदान किया जाता है।

अतः योजना नियम की कंडिका 5.5 (अ) अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा (प्रारंभिक) उत्तीर्ण कर आगे की परीक्षा की तैयार दिल्ली स्थित कोचिंग संस्थाओं से करना चाहते हैं, वे अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र में समस्त अभिलेखों के साथ दिनांक **25 जनवरी 2017** तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं। ई-मेल yuvaiaas.ctd@gmail.com पर भेज सकते हैं। योजना की संपूर्ण जानकारी विभाग की वेबसाईड tribal.cg.gov.in पर उपलब्ध है।

—सही—

(चंद्रकांत उइके)

संचालक सह आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नया रायपुर, छत्तीसगढ़

टीप:- आवेदन एवं शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा (प्रारंभिक) के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से दिल्ली स्थित कोचिंग संस्थाओं में आवासीय सुविधा के साथ प्रवेश की सूचना—वर्ष 2017—18
(अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए)

प्रति,

नवीनतम फोटो
चिपकाएँ स्टेपल न
करें

आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास,
ब्लाक-4, भू-तल, इन्द्रावती भवन
न्या रायपुर, छत्तीसगढ़

विषय :- संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा (प्रारंभिक) के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से दिल्ली स्थित कोचिंग संस्थाओं में आवासीय सुविधा के साथ प्रवेश हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2017—18।

1. अभ्यर्थी का नाम (हिन्दी में) —
(अंग्रेजी में) —
2. जन्म तिथि — (अ) अंकों में
(ब) शब्दों में
3. आयु — वर्ष माह दिन
4. शैक्षणिक योग्यता —
5. वर्तमान पता —
6. स्थायी पता —
7. अभ्यर्थी का वर्तमान व्यवसाय एवं
अभ्यर्थी की कुल वार्षिक आय (आय
प्रमाण पत्र संलग्न करें) —
8. पिता/अभिभावक का नाम —
9. माता का नाम —
10. माता का व्यवसाय—
11. परिवार की कुल वार्षिक आय —
(शपथ पत्र के प्रारूप में)
12. संघ लोक सेवा द्वारा आयोजित
सिविल सेवा परीक्षा का नाम एवं (1) उत्तीर्ण परीक्षा —
वर्ष (अभिलेख संलग्न करें) (अ) प्रारंभिक परीक्षा — रोल नं.
(ब) मुख्य परीक्षा — रोल नं.

13. परीक्षा की तैयारी हेतु केन्द्र/राज्य शासन की किसी योजनान्तर्गत निःशुल्क रहवासी प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तो उसका विवरण दें :-

क्रमांक	प्रशिक्षण योजना का नाम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण में उपलब्ध कराई गई सुविधा	किस केन्द्र पर प्रशिक्षण प्राप्त किया और किस वर्ष में
1	2	3	4	5
1				
2				
3				

14. जाति – अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति
(√) टिक करें

(आवेदक के छ.ग. में अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति वर्ग की सूची में जाति/उपसमूह का नाम) अनु.जाति/जनजाति सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थाई जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करें ।

15. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है – (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें)
हाँ नहीं

16. आवेदक का आधार कार्ड नंबर – (छायाप्रति संलग्न करें)

17. प्रोत्साहन राशि जमा करने हेतु बैंक खाते का विवरण –

(i) बैंक एवं शाखा का नाम –

(ii) IFSC कोड –

(iii) बैंक खाता क्र. –

टीप :- बैंक पास बुक का प्रथम पृष्ठ जिसमें उपरोक्त जानकारी हो, छायाप्रति संलग्न करें।

घोषणा पत्र

मैं श्री/कु. पिता/पालक

..... निवासी उपरोक्तानुसार दी गई समस्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है । मैंने पूर्व में इस योजना से लाभ प्राप्त नहीं किया है। यदि कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान –

दिनांक –

हस्ताक्षर

नाम –

पता –

.....

शपथ पत्र का प्रारूप

(50रु. के नॉन ज्युडिशियल स्टॉप पेपर पर प्रस्तुत किया जाए)

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा (प्रारंभिक) के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से दिल्ली स्थित कोचिंग संस्थाओं में आवासीय सुविधा के साथ प्रवेश हेतु (अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए)

मैं पिता उम्र
निवासी ग्राम वि.खं., जिला यह शपथ पूर्वक
घोषणा करता हूँ –

1. मैंने वर्ष के संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण किया है। मेरा रोल नंबर तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अर्हता पत्र संलग्न है।
2. मैं छ.ग. राज्य द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य हूँ एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मेरे पास है।
3. मैं छ.ग. राज्य का मूल निवासी हूँ।
4. पिता (यदि शासकीय सेवक है तो) आय
माता (यदि शासकीय सेवक है तो) आय
पिता यदि अन्य व्यवसाय है तो आय
परिवार के कृषि से आय
आवेदक की आय
कुल आय
5. पिता मेरे परिवार की वार्षिक आय कुल है।
6. मैंने पूर्व में इस योजनांतर्गत कोचिंग प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।

उपरोक्त कंडिका 1 से 6 की जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास में सही है।
यदि जानकारी गलत पाई जाती है तो, मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी,
जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

आवेदक का हस्ताक्षर